

जिला परिषद, वैशाली (हाजीपुर)
माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन 2016
सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधिसूचित नियुक्ति नियमावली 2015-16 के आलोक में माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन हेतु वैशाली जिला परिषद अंतर्गत नियोजन इकाई द्वारा निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा) शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक- 2064 दिनांक- 23.12.2016 के आदेशानुसार सम्पन्न की जानी है। विस्तृत कार्यक्रम इस प्रकार है:-

1. मेधा सूची का प्रकाशन - 19.01.2017
2. माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन हेतु निर्धारित तिथि- 24.01.2017
3. स्थल - जी0ए0 इन्टर विद्यालय, हाजीपुर
4. स्थल पर उपस्थिति हेतु रिपोर्ट/पंजीयन करने का समय 09:30 बजे पूर्वाह्न से 10:30 बजे पूर्वाह्न ।
5. काउन्सेलिंग का समय - 10:30 - 02:30 तक
6. विद्यालय चयन एवं सहमति पत्र - 02:30 बजे अपराह्न से 04:30 बजे तक

☞ आवेदक अपने साथ सभी मूल प्रमाण-पत्र एवं दो सेट स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति, दो फोटो के साथ फोल्डर फाईल में रखकर निर्धारित स्थल पर अपना उपस्थिति निर्धारित विषयवार काउन्टर पर पूर्वाह्न नौ बजे देंगे तथा संबंधित काउन्टर से अपनी उपस्थिति संबंधी पर्ची काउन्टर कर्मी से प्राप्त कर आगे की प्रक्रिया हेतु रूकेंगे। नियोजन हेतु उनके नाम के चयन की उद्घोषणा के पश्चात् पैनल निर्माण समिति के समक्ष काउन्सेलिंग/विद्यालय चयन एवं सहमति पत्र देने हेतु उपस्थित होंगे। उनके नाम की उद्घोषणा के पश्चात उनकी अनुपस्थिति रहने पर उन्हें अनुपस्थित मानते हुए उनसे नीचे के अभ्यर्थी को नियोजन की प्रक्रिया में अवसर दिया जायेगा।

☞ सभी प्रति आवेदक अपने बी0एड0 के प्रशिक्षण महाविद्यालय की वैद्यता से संबंधित साक्ष्य Net के द्वारा डाउनलोड कराकर अनिवार्य रूप से जमा करेंगे, अन्यथा उनका नियोजन पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा।

☞ वैसे आवेदक इस आशय का शपथ-पत्र देंगे कि उनके द्वारा दिया गया सभी प्रमाण-पत्र सही एवं वैध है तथा गलत पाये जाने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

☞ निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 947 दिनांक- 09.12.2016 के आलोक में वैसे आवेदक इस आशय का शपथ-पत्र देंगे कि वे किसी अन्य नियोजन इकाई में पूर्व से नियोजित नहीं है।

☞ आवेदक का नाम रोस्टर क्रम में आने पर ही चयनित सूची में उनके नाम का प्रकाशन कर विद्यालय चयन से संबंधित प्रक्रिया में शामिल कराया जायेगा। साथ ही ऐसे चयनित अभ्यर्थी को अपना STET का मूल प्रमाण नियोजन कोषांग के निर्धारित काउन्टर पर जमा कराना होगा तभी उनका नियोजन पत्र निर्गत किया जायेगा। STET का मूल प्रमाण-पत्र जमा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में उनका नियोजन पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा।

☞ जो आवेदक उक्त तिथि को निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित नहीं रहेंगे उनके दावे को निरस्त कर उनसे नीचे के मेधा अंक वाले अभ्यर्थी को अवसर दिया जायेगा एवं उनकी दावेदारी भविष्य में मान्य नहीं होगी।

☞ मेधा अंक की गणना, एस0टी0ई0टी0 की जाँच एवं बी0एड0 मान्यता संबंधी जाँच के पश्चात ही नियोजन पत्र निर्गत किया जाएगा।

☞ एस0टी0ई0टी0 उत्तीर्ण विषय के अन्तर्गत विभागीय नियमानुसार पठित विषय के पश्चात ही कॉन्सेलिंग में उपस्थित कराया जाएगा।

विस्तृत सूचना नियोजन इकाई के सूचनापट्ट पर अवलोकन किया जा सकता है।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
(स्थापना) वैशाली।

उप विकास आयुक्त -सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, वैशाली।

अध्यक्ष,
जिला परिषद,
वैशाली।